पंजीकृत

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, चम्पावत।

फोन/फैक्स नं0: 05965 230296

ई–मेल : dmcumdeocpt@gmail.com
deochp-election@uk.gov.in

पत्रांक 21 /29–11(सूचना अधिकार)/2019 दिनांक 11 जुलाई, 2019

सेवा में,

श्री वेद गुप्ता, पत्रकार,
247, स्मिथ नगर, प्रेमनगर,
देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक आपके अनुरोध पंत्र दिनांक 29 जून, 2019 जो इस कार्यालय को अनुभाग अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–2647/XXV-12(9)/2018 दिनांक 09 जुलाई, 2019 द्वारा हस्तान्तरित होकर इस कार्यालय में दिनांक 09 जुलाई, 2019 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 01 से 02 तक की सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :–

बिन्दु संख्या	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 धारा 7/9 के अन्तर्गत जनहित पर निम्न बिन्दुओं पर सूचनायें चाही गई।	जनपद चम्पावत से सूचना प्रेषित।
1	यह कि मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज तक कितनी बार और कहाँ–कहाँ से चुनाव लड़े हैं।	इस लोक प्राधिकारी के कार्यालय में धारित नहीं है।
2	यह कि मुख्यमंत्री के द्वारा सभी चुनावों में क्या–क्या डाक्युमेंट जैसे घोषणा पत्र आदि सब की प्रमाणित प्रति दें।	इस लोक प्राधिकारी के कार्यालय में धारित नहीं है।

यदि आप उक्त सूचना से सन्तुष्ट न हो तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते है :–
विभागीय अपीलीय अधिकारी/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी, चम्पावत।

भवदीय,

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
चम्पावत।

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्र संख्या–2647/XXV-12(9)/2008 दिनांक 09 जुलाई, 2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
चम्पावत।

पंजीकृत

संलग्नक–10

अनुरोध को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा।

पत्र संख्या 1822/29–सूचना का अधि0/2018 दिनांक 10 जुलाई, 2019

सेवा में,

श्री वेद गुप्ता,
पत्रकार, 247, स्मिथ नगर,
प्रेमनगर, देहरादून उत्तराखण्ड।

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 29 जून, 2019 जो अनुभाग अधिकारी/लोक सूचनाधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 2647/XXV-12(9)/2018 दिनांक 09 जुलाई, 2019 के माध्यम से दिनांक 09 जुलाई, 2019 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है के क्रम में वांछित सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र.सं.	वांछित सूचना	प्रदत्त सूचना
1	यह कि मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज तक कितनी बार और कहाँ–कहाँ से चुनाव लड़े है ?	मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज तक इस जनपद से कोई चुनाव नही लड़ा है।
2	यह कि मुख्यमंत्री के द्वारा सभी चुनावों में क्या–क्या डाक्युमेंट जैसे घोषणा पत्र आदि सब की प्रमाणित प्रति दें।	मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा इस जनपद से कोई चुनाव नही लड़े जाने के कारण इस कार्यालय में कोई डाक्युमेंटस धारित नहीं है।

अतः उपलब्ध करायी जा रही सूचना से यदि आप असन्तुष्ट हैं तो प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील दायर कर सकते है, जिनका नाम व पता निम्न है।

अपीलीय अधिकारी का पता–
प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी,
उपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
कलैक्ट्रट परिसर, अल्मोड़ा।

भवदीय,

(शंकर राम)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
अल्मोड़ा।
दूरभाष नम्बर–05962–230010

प्रतिलिपिः– अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून के उनके पत्र संख्याः 2647/XXV-12(9)/2018 दिनांक 09 जुलाई, 2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

लोक सूचना अधिकारी,/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
अल्मोड़ा।

Email.ID- dmcumdeohdr@gmail.com
Fax/Phone- 01334-239942

//कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार//

संख्या 1245/29–14(सू.अ.अ.) /2018 दिनांक 08 जुलाई , 2019

संलग्नक–5

पंजीकृत

(अतिरिक्त शुल्क के लिए सूचना का प्रपत्र)

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन), हरिद्वार।

सेवा में,

Ms. Loveleena Sharma
Association for Democratic Reforms
Table No. 05, T-95, CL House, Second Floor
(Near Gulmohar Commercial Complex)
Gautam Nager, New Delhi.

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 सूचना उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 2605/25–(P–7)/2008 दिनांक 01 जुलाई, 2019 के साथ संलग्न सूचनाधिकार आवेदन पत्र 24.06.2019 जो दिनांक 04 जुलाई 2019 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

जिसमे आप द्वारा चाही गई सूचना में कुल 207 पृष्ठ है, प्रति पेज 2.00 रूपयें की दर से 414रूपयें (चार सौ चौदह रूपयें) मात्र पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक जो लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार के पदनाम से बना हो, इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, तत्पश्चात् आपकों सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्यवाही उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नहीं गिना जायेगा। सूचना से अहसमत होने की स्थिति में प्रथम विभागीय अपीली अधिकारी, का नाम व पता निम्नवत है।

<u>प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम व पता</u>
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा.)
उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।

भवदीय
(हरीश सिंह रावत)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।
दूरभाष नम्बर–01334–239942

प्रतिलिपि– अनुभाग अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

कार्यालय जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी नैनीताल।

e-mail: dmcumdeontl@gmail.com **दूरभाषः 05942–235284**

पत्रांक–1391 /29– सूचना का अधिकारी (2018–19) **दिनांक– 11 जुलाई, 2019**

सेवा में,

श्री वेद गुप्ता, पत्रकार,
247, स्मिथ नगर, प्रेमनगर देहरादून(रजि0)

विषय– लोक सूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अपने सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 29.06.2019 जो इस कार्यालय को दिनांक 09 जुलाई, 2019 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के माध्यम से प्राप्त हुआ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित अनुरोध पत्र में आपके द्वारा चाही गयी वांछित सूचना वर्तमान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज तक कितनी बार और कहाँ–2 से चुनाव लडे एवं उनके द्वारा लडे गये चुनाव में क्या–2 दस्तावेज (घोषणा पत्र आदि) जमा किये गये कि प्रमाणित प्रति के सम्बंध में अवगत कराना है, कि मा0 श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा जनपद की किसी भी विधानसभा/लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कोई निर्वाचन नहीं लडा गया।

अतः उक्त सूचना इस कार्यालय में धारित नहीं है।

उक्त उपलब्ध करायी जा रही जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हों तो सूचना प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विभागीय अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

<u>विभागीय अपीलीय अधिकारी का पता</u>

अपर जिलाधिकारी एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
नैनीताल।

भवदीय,

(प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
नैनीताल।

प्रतिलिपि– सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून के सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय,

(प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
नैनीताल।

28

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) 2713551

election09@gmail.com फोन न0 (0135) 2713552

संख्या– 2688 / XXV––12(9) /2018 देहरादून : दिनांक 12 जुलाई, 2019

सेवा में,

श्री वेद गुप्ता, पत्रकार,
247 स्मिथ नगर,
प्रेमनगर, देहरादून

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अधीन सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन गोपन (मंत्रीपरिषद) के पत्र संख्या– 461 दिनांक 11 जुलाई 2019 के साथ संलग्न उत्तराखण्ड गृह अनुभाग–3 के पत्र संख्या–118 दिनांक 4 जुलाई 2019 एवं आपके अनुरोध पत्र की छाया प्रति इस कार्यालय में दिनांक 12 जुलाई 2019 को प्राप्त हुई है। आप द्वारा अपने अनुरोध पत्र के माध्यम से मांगी गयी विन्दु संख्या–1 से सम्बन्धित वांछित सूचना इस कार्यालय में धारित नहीं है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ठ हों तो आदेश प्राप्त की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

अपीलीय अधिकारी का पता–

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून– 248001

भवदीय,

(डी0पी0डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

पृ0संख्या 2688 /XXV–12(9)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग उत्तराखण्ड को उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

(डी0पी0डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

12.7.2019

स्पीड पोस्ट

28

उत्तराखण्ड शासन
गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग
संख्या : 461 /06/लो0सू0अ0/XXI/2013
देहरादून, दिनांक 11 जुलाई, 2019

लोक सूचना अधिकारी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सचिवालय,
उत्तराखण्ड।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक अनुरोध पत्र दिनांक–24.06.2019, जो लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव, गृह अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–128/XX-3-2019-10(07)2019 दिनांक–04 जुलाई, 2019 के माध्यम से दिनांक 08 जुलाई, 2019 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अनुरोधकर्ता श्री वेद गुप्ता का अनुरोध पत्र में उल्लिखित बिन्दु की वांछित सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आपको अन्तरित की जा रही है। अतः अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

(अजीत सिंह)
अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी।
दूरभाष सं. 0135-2712009

संख्या– (1)/06/लो0सू0अ0/XXI/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – श्री वेद गुप्ता, पत्रकार, 247, स्मिथ नगर, प्रेमनगर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि आपके अनुरोध पत्र का पत्र दिनांक 24.06.2019 में उल्लिखित सूचना गोपन विभाग में धारित नहीं है। उल्लिखित सूचना लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन विभाग, सचिवालय, उत्तराखण्ड से सम्बन्धित प्रतीत होने के दृष्टिगत आपके अनुरोध पत्र को सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जा रहा है।

(अजीत सिंह)
अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी।

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

सं0-461/XXI/2019

रजिस्टर्ड डाक

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–3
संख्या–118/XX–3–2019–10(07)2019
देहरादून : दिनांक 4 जुलाई, 2019

लोक सूचना अधिकारी,
गोपन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपने सूचना अनुरोध पत्र दिनांक 29.06.2019, जो कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 02.07.2019 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्न सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है :–

क्र.सं	वांछित सूचना	प्रदत्त सूचना
1	यह कि डॉ0 हरक सिंह रावत द्वारा अपने नाम के आगे डॉ0 की उपाधि लगायी जा रही है, कृपया इनके द्वारा कब और कहाँ से डाक्टर की डिग्री ली गयी है, उसकी प्रमाणित प्रति देने का कष्ट करें।	अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अंतरित।

2– उक्त के क्रम में अवगत कराया जाना है कि वांछित सूचना कार्यालय में धारित न होने एवं सूचना कदाचित आपके विभाग से सम्बन्धित होने के दृष्टिगत सूचना अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत इस आशय से आपको अंतरित किया जा रहा है कि कृपया आवेदक को वांछित सूचना नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज दि0 08/07/19 को प्राप्त
08/07/19, 12:08 AM

(ज्योतिर्मय त्रिपाठी)
लोक सूचना अधिकारी / अनु सचिव

संख्या– /आर.टी.आई. / XX–3–2019–10(07)2019

प्रतिलिपि– श्री वेद गुप्ता, पत्रकार, 247, स्मिथ नगर, प्रेमनगर, देहरादून (रजि0) को उनके सूचना अनुरोध पत्र दिनांक 24.06.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में सूचना गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दी जानी है। यदि लोक सूचना अधिकारी, गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन से उक्त सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा उनके द्वारा दी गयी सूचना से सन्तुष्ट न हो तो असंतुष्ट होने के कारणों का उल्लेख करते हुए निर्धारित समयावधि के अन्दर उनके विभागीय अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकते है।

(ज्योतिर्मय त्रिपाठी)
लोक सूचना अधिकारी / अनु सचिव

8/7/19
(अजीत सिंह)
अनु सचिव
कार्मिक एवं सतर्कता, गोपन विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

8.7.19

R-110/RTI-3/2019

सेवा में,

श्री मान लोक सूचना अधिकारी/ गृह सचिव,
उत्तराखण्ड सचिवालय,
देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार विधि 2005 कि धारा-7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना देने संबंधी

महोदय,

नम्र निवेदन है कि मुझे डा० हरक सिंह रावत (मंत्री) उत्तराखण्ड शासन के बारे में निम्न सूचना दें:-

(1) यह कि डा० हरक सिंह रावत द्वारा अपने नाम के आगे डा० कि उपाधि लगायी जा रही है। कृपया इनके द्वारा कब और कहां से डाक्टर कि डिग्री ली गयी है। उसकी प्रमाणित प्रति देने का कष्ट करें।

अतः श्री मान जी से आप से विनम्र निवेदन है कि उक्त सूचना 48 घन्टे में देने कि महान कृपा करें। क्योंकि मेरी जान को खतरा है।

दिनांक
29-6-19

प्रार्थी
वेद गुप्ता
(पत्रकार)
247, इन्द्रा नगर
प्रेम नगर
देहरादून।
मो०:- 7417067

नोट:- 20 रुपये का आस्टल नं० सलंग्न है।

RTI
पत्रांक 209 / नि०स०-स० / 2019
दिनांक : देहरादून 01/07/2019

RTI
SO-3
2/7/19

120/SO-3, Home
01/7/19
निजी सचिव
सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
चिकित्सा शिक्षा।

कार्यवाही
2-7-19

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	**IN-UK22667075149276R**
Certificate Issued Date	:	29-Jun-2019 01:10 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1299004/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK129900447364012114450R
Purchased by	:	VED GUPTA
Description of Document	:	Article Miscellaneous
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	VED GUPTA
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	VED GUPTA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Shalini Tiwari
Stamp Vendor
Court Road,Dehradun

---------------------------------------Please write or type below this line---------------------------------------

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.